



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०
Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक इ०रा०वि०वि०/कु०स०का०/ 654/2018

दिनांक 25 सितम्बर, 2018

अत्यावश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

विषय: अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति के विचारार्थ सम्बन्धित बिन्दुओं के सापेक्ष वांछित सूचनार्थ/सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ०शि०), शिक्षा डिग्री प्लान अनुभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का पत्र संख्या-डिग्री प्लान/2056-2081/2018-19 दिनांक 18.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति के विचारार्थ सम्बन्धित बिन्दुओं के सापेक्ष वांछित सूचनाएं/सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अतएव आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में वांछित सूचनाएं भरकर यथाशीघ्र विश्वविद्यालय की ईमेल—affiliation registrarasua@gmail.com पर भेजते हुए हार्डकापी विशेष वाहक से विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। प्रकरण मा० मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकताओं में है, अतः प्रकरण पर शिथिलता अवांछनीय है।

डॉ० (विनीता यादव)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एजेन्सी को इस आशय से कि उक्त पत्र को समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों की कॉलेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

डॉ० (विनीता यादव)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

R.
Form. a.
Dram
17.9.18

समयबद्ध/अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
शिक्षा डिग्री प्लान अनुभाग
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-1 डिग्री प्लान/ 2028-2054/2018-19 दिनांक- 14-09-2018
विषय- अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति के विचारार्थ सम्बन्धित बिन्दुओं के सापेक्ष वांछित सूचनाएँ/सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-59/समिति/2018 दिनांक-08-08-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-मु०स. 56/64-1-2018/24 (रिट) 2015 लखनऊ दिनांकित 05 जून, 2018 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति के विचारार्थ सम्बन्धित बिन्दुओं के सापेक्ष वांछित सूचनाएँ/सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के संबंध में निदेशालय के पत्रांक-डिग्री प्लान/1793-1818:2018-19 दिनांक-13-08-2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों से संलग्न प्रारूप पर सूचना प्राप्त कर समेकित रूप से संलग्न प्रारूप पर तैयार कर दिनांक-13-08-2018 को अपराह्न 1.00 बजे तक निदेशालय के ई-मेल-info@dheup.co.in व dheupdegreeplan@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी निदेशालय में अद्यतन सूचना अप्राप्त है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना संलग्न प्रारूप पर तैयार कर दिनांक-19-09-2018 तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे वांछित सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।
संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,

(Signature)

डॉ० (पी०के०) वाष्णोय
संयुक्त निदेशक (उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
उ०प्र०, इलाहाबाद।

प०सं०- डिग्री प्लान

2018-19 तद् दिनांक

प्रतिलिपि- विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ० (पी०के०) वाष्णोय
संयुक्त निदेशक (उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पत्राक- 42 /समिति/2018 दिनांक 27-07-2018

प्रेषक,

ज्ञान चन्द्रा, एचओजेएस (ओप्राओ)

सचिव,

अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति

बी - ब्लाक, दूसरा तल, मडी परिषद,

विभुति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ

सेवा मे.

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ।

विषय : कार्यालय आदेश संख्या मु०स० 56/64-1-2018-24 (रिट)/2015 दिनांक 05 जून 2018 के द्वारा समिति के विचारार्थ संदर्भित बिन्दुओं के सापेक्ष प्रारम्भिक रूप से वांछित सूचनायें/सामग्री के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय समिति के पूर्व पत्राक संख्या 23/समिति/2018 दिनांकित 11.07.2018 एवं अनुस्मारक दिनांकित 17.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

समिति के विचारार्थ संदर्भित बिन्दु अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और समिति सीमित समय में अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के लिये प्रतिबद्ध है। अतः अनुरोध है कि निम्न सूचना/जानकारी शासन के समी सबधित विभागों से प्राप्त करने हेतु अपने स्तर पर एक बैठक आहूत करने का कष्ट करें। समिति भी उक्त बैठक में प्रतिभाग करना चाहेगी। अतः बैठक का समय एवं दिनांक निर्धारित कर समिति को सुचित करने की कृपा करें। आपेक्षित सूचनाओं का विवरण निम्न है :

(1)- वर्तमान में "अन्य पिछड़ा वर्ग" के कल्याणार्थ उत्तर प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का विवरण जिसमें निम्न बातों का समावेश हो :

- (क) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का नाम, यदि कोई हो।
- (ख) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को प्रचलित किये जाने की तिथि/वर्ष
- (ग) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को लागू करने की तिथि को लाभार्थियों की जातिवार/वर्गवार क्या स्थिति थी।

- (घ) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को प्राप्त करने के उपरान्त वर्तमान में लाभार्थियों की जातिवार/वर्गवार क्या स्थिति है ?
- (च) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को लागू करने की तिथि से अब तक लाभार्थियों की जातिवार/वर्गवार संख्या में प्रतिशत वृद्धि

- (ii) "अन्य पिछड़े वर्ग" के अन्तर्गत विभिन्न जातियों/वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का तथ्यात्मक विवरण
- (ख) शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण के फलस्वरूप "अन्य पिछड़े वर्ग" के विभिन्न जातियों/वर्गों की भागीदारी में प्रतिशत वृद्धि। (शासन के सभी संबंधित विभाग से)

- (2) उत्तर प्रदेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अधीन शैक्षणिक क्षेत्र में "अन्य पिछड़े वर्ग" के विभिन्न वर्गों एवं जातियों की भागीदारी का विवरण (संलग्नक प्रारूप 1 में) जिसमें निम्न बातों का समावेश हो :

- (क) शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण की अद्यतन व्यवस्था।
- (ख) शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण के पूर्व "अन्य पिछड़े वर्ग" के विभिन्न जातियों/वर्गों की भागीदारी (आबादी के सापेक्ष प्रतिशत में) की स्थिति।
- (ग) शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण के फलस्वरूप वर्तमान में "अन्य पिछड़े वर्ग" के विभिन्न जातियों/वर्गों की भागीदारी (आबादी के सापेक्ष प्रतिशत में) का विवरण।
- (घ) शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण के फलस्वरूप "अन्य पिछड़े वर्ग" के विभिन्न जातियों/वर्गों की भागीदारी में प्रतिशत वृद्धि। (शासन के सभी संबंधित विभाग यथा उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा कृषि शिक्षा आदि)

- 3- उत्तर प्रदेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में "अन्य पिछड़े वर्ग" की विभिन्न जातियों की भागीदारी का विवरण (संलग्नक प्रारूप 2 में) जिसमें निम्न बातों का समावेश हो

- (क) सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अद्यतन व्यवस्था
- (ख) सरकारी सेवाओं में आरक्षण के पूर्व "अन्य पिछड़े वर्ग" के विभिन्न जातियों की भागीदारी (आबादी के सापेक्ष प्रतिशत में) का विवरण
- (ग) सरकारी सेवाओं में आरक्षण के फलस्वरूप वर्तमान में "अन्य पिछड़े वर्ग" की विभिन्न जातियों की भागीदारी (आबादी के सापेक्ष प्रतिशत में) का विवरण
- (घ) सरकारी सेवाओं में आरक्षण के फलस्वरूप "अन्य पिछड़े वर्ग" के विभिन्न जातियों की भागीदारी में प्रतिशत वृद्धि (शासन के सभी संबंधित विभाग से)

- 4- अन्य राज्यों में "अन्य पिछड़ा वर्ग" की विभिन्न जातियों/वर्गों के सम्बन्ध में आरक्षण की व्यवस्था


- (क) अन्य राज्यों में "अन्य पिछड़ा वर्ग" (जातिवार/वर्गवार) की राज्यवार सूची

- (ख) अन्य राज्यों में "अन्य पिछड़ा वर्ग" के कल्याणार्थ लागू समस्त योजनाओं/व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का विवरण
- (ग) "अन्य पिछड़ा वर्ग" के कल्याणार्थ लागू योजनाओं/व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्न जानकारी :
- (i) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का नाम, यदि कोई हो ।
- (ii) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को प्रचलित किये जाने की तिथि/वर्ष
- (iii) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को लागू करने की तिथि को लाभार्थियों की जातिवार/वर्गवार क्या स्थिति थी?
- (iv) योजनाओं, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को लागू करने की तिथि से अब तक लाभार्थियों की जातिवार/वर्गवार संख्या में प्रतिशत वृद्धि। (पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/उ०प्र० पिछड़ा आयोग)

5 अन्य पिछड़ा वर्ग की उत्तर प्रदेश में जातिवार जनसंख्या और यदि जातिवार जनसंख्या अलग से उपलब्ध न हो तो परिवार रजिस्टर के आधार पर जातिवार/वर्गवार जनसंख्या का विवरण । (संलग्नक प्रारूप 3 में) (पंचायती राज्य विभाग/शासन का संबंधित विभाग)

कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित सूचना सम्बन्धी विवरण/अभिलेख प्राप्त कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,



(ज्ञान चन्द्रा)

सचिव,

अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति

प्रतिलिपि - अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(ज्ञान चन्द्रा)

सचिव,

अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति

07/02/2018

प्रारूप - 1

अन्य पिछड़ा वर्ग में विभिन्न जातियों का शिक्षा में प्रतिनिधित्व

क्र०सं०	जाति/उपजाति	उच्च शिक्षा, तकनीकी/कृषि/विधि/प्रबन्धन आदि से आच्छादित सीट	शिक्षा में प्रतिशत भागीदारी	अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल सीट के सापेक्ष संबंधित जाति/उपजाति का भागीदारी प्रतिशत
01.	02	03	04	05
1	अहीर, यादव ग्वाला, यदुवशीय			
2	जाट			
3	सोनार, सुनार, स्वर्णकार			
4.	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैथवार			
5.	गिरी			
6.	गुजर			
7	गोसाई			
8.	लोघ, लोघा, लोधी राजपुत			
9.	कम्बोज			
10	अरख, अर्कवशीय			
11.	काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य			
12.	कहार, कश्यप			
13.	कंबट, मल्लाह, निषाद			
14.	थकसान			

15.	कोइरी			
16.	कुम्हार, प्रजापति			
17.	क्सगर			
18.	कुजड़ा या राईन			
19.	गडेरिया, पाल, बघेल			
20.	गददी, घोसी			
21.	चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक			
22.	छीपी, छीपा			
23.	जेगी			
24.	झोजा			
25.	डफाली			
26.	तमोली, बरई, चौरसिजा			
27.	त्ती, सामानी, रोगगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक			
28.	दर्जी, इदरीसी, काक्कुरथ			
29.	धीवर			
30.	नक्कल			
31.	नट (जो अनुसुचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)			
32.	नायक			
33.	फकीर			
34.	बंजारा, रंकी, मुकेरी, मकरानी			
35.	बदई, सैफी, विश्वकर्मा, पंचाल, रमगडिया जागिड़, धीमान			

36.	बरी			
37.	बैरागी			
38.	बिन्द			
39.	बियार			
40.	भर, राजभर			
41.	भुर्जा, भड़मुजा, भुर्ज, कादू, कशोधन			
42.	भठियारा			
43.	माली, सैनी			
44.	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो). इलालखोर			
45.	लोहार, लोहार-सैफी			
46.	लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया चौहान			
47.	श्रंगरेज, रंगया			
48.	मारछा			
49.	हलवाई, मोदनवाल			
50.	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास			
51.	राय, सिक्ख			
52.	सक्का-मिश्री, मिश्री अब्बासी			
53.	घोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)			
54.	कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार			
55.	नानबाई			
56.	मीरशिकार			

57.	शेख सरवारी (पिराई), पीराही			
58.	मेव, मेवाती			
59.	कोष्टा / कोष्टी			
60.	रोड			
61.	खुमरा, सगतराश, हत्तीरी			
62.	मोची			
63.	खागी			
64.	तवर सिंघाडिया			
65.	करुआ			
66.	माहीगीर			
67.	दागी			
68.	घाकड			
69.	गाडा			
70.	तंतवा			
71.	जोरिया			
72.	पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी			
73.	कलाल, कलवार, कलार			
74.	मनिहार, कचेर, लखेरा			
75.	मुराव, मुराई, मौय			
76.	मोभिन (अंसार)			
77.	मुस्लिम कायस्थ			
78.	मिरासी			
79.	नददाफ (धुनिया), मन्सुरी, कन्डरे, कडेरे करण (कर्ण)			

10	अरख, अर्कवशीय								
11	काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य								
12.	कहार, कश्यप								
13.	केवट, मल्लाह, निषाद								
14.	थकसान								
15.	केइरी								
16	कुम्हार, प्रजापति								
17.	कसगर								
18	कुजडा या साईन								
19	गडेरिया, पाल, बघेल								
20	गददी, घोसी								
21	चिकवा, कस्साध, कुरेशी, चक								
22	छीपी, छीपा								
23	जेगी								
24.	झोजा								
25.	डफाली								
26.	तमोली, बरई, चौरसिया								
27	त्ली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अरांक								
28	दर्जी, इदरीसी, काकुत्थ								
29	धीवर								

30	नक्कल								
31	नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)								
32.	नायक								
33.	फकीर								
34.	बजारा, रंकी, मुकेशी, मकेशानी								
35	बढई, सैफी, विश्वकर्मा, पंचाल, रमगाढिया, जागिड़, धीमान								
36.	बरी								
37	बैरागी								
38	बिन्द								
39.	बियार								
40	भर, राजभर								
41.	भुजी, भडभुजा, भूजें, कांदू, कशोधन								
42.	भटियारा								
43.	माली, सीनी								
44.	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर								

C

45.	लोहार, लोहार-सैफी								
46.	लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया चौहान								
47.	श्रंगरेज, रंगवा								
48.	मारछा								
49.	हलवाई, मोदनवाल								
50.	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास								
51.	राय, सिक्ख								
52.	सक्का-भिरती, भिरती अब्बासी								
53.	धोबी (जो अनुसुचित जातियों या अनुसुचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)								
54.	कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार								
55.	नानबाई								
56.	मीरशिकार								
57.	शेख सरवारी (पिराई), पीराही								
58.	मेव, मेवाती								
59.	कोष्टा/कोष्टी								
60.	रोड़								

45	लोहार, लोहार-सैफी								
46.	लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया चौहान								
47.	श्रंगरेज, रंगवा								
48.	मारछा								
49	इलवाई, मोदनयाल								
50	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास								
51	शाय, सिक्ख								
52.	सक्का-भिश्ती, भिश्ती अब्बासी								
53	धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)								
54	कसेरा, ठटेरा, ताप्रकार								
55.	नानबाई								
56	मीरशिकार								
57.	शेख सरवारी (पिराई), पीराही								
58.	मेव, मेवाती								
59	कोष्टा/कोष्टी								
60.	रोड़								

61.	खुमरा, संगतराश, हसीरी								
62.	मोची								
63.	खागी								
64.	तंवर सिघाडिया								
65.	कतुआ								
66.	माहीगीर								
67.	दांगी								
68.	घाकड़								
69.	गाडा								
70.	ततवा								
71.	जोरिया								
72.	पटवा, पटहाल, पटेहरा, देववंशी								
73.	कलाल, कलदर, कलार								
74.	मनिहार, कचेर, लखेरा								
75.	मुसाव, मुराई, मोर्य								
76.	मोमिन (असार)								
77.	मुस्लिम कायस्थ								
78.	मिरासी								
79.	नददाफ (धुनिया), मन्पुरी, कन्डेरे, कडेरे, करण (कणी)								

प्रारूप - 3

अन्य पिछड़ा वर्ग में विभिन्न जाति/वर्ग की जातिवार/वर्गवार

क्र०सं०	जाति/वर्ग का नाम	जनसंख्या/परिवार रजिस्टर के आधार पर जनसंख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति/वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत
81.	82	03	04
1.	अहीर, यादव, खाला, यदुवंशीय		
2.	जाट		
3.	सोनार, सुनार, स्वर्णकार		
4.	कुर्मी, चन्क, पटेल, पटनवार कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैथवार		
5.	गिरी		
6.	गुजर		
7.	गोसाई		
8.	लोध, लोध, लोधी राजपूत		
9.	कम्बोज		
10.	अरख, अर्कवशीय		
11.	काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य		
12.	कहार, कश्यप		
13.	क्रेष्ट, मल्लाह, भियाह		
14.	धनसान		
15.	मेहरी		

16.	कुम्हार, प्रजापति		
17.	कसगर		
18.	कुजड़ा या राईन		
19.	गडेरिया, पाल, बघेल		
20.	गददी, घोसी		
21.	चिकवा, कस्साब, कुरैशी, बक		
22.	छीपी, छीपा		
23.	जेगी		
24.	झोजा		
25.	डफाली		
26.	तमोली, बरई, चौरसिया		
27.	तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, रौनियार, गन्धी, अर्राक		
28.	दर्जा, इदरीसी, काकूत्थ		
29.	धावर		
30.	नक्कल		
31.	नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)		
32.	नाथक		
33.	फकीर		
34.	बंजारा, रक्री, मुकैरी, मकैरानी		
35.	बडई, सैफी, विश्वकर्मा, पन्नाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान		
36.	बरी		